न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

विशेष सत्रवाद संख्या –350/1999
राज्य बनाम राकेश चौधरी, मोहित चौधरी
धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट,
थाना–कोतवाली, जनपद–मथुरा

19–03–2026

1– पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मोहित चौधरी की आज की उपस्थिति, प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्ता द्वारा मानी गयी। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा, उपस्थित। पत्रावली आज अभियुक्त मोहित चौधरी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 21 ख के निस्तारण में नियत है, उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुना, पत्रावली का परिशीलन किया।

2– अभियुक्त मोहित चौधरी की ओर से प्रार्थनापत्र 21 ख, अन्तर्गत धारा 250 बी० एन० एस०एस०, (समरूप धारा 227 द०प्र०सं०), उन्मोचन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त में थाना कोतवाली मथुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ प्रेषित गैंगचार्ट आरोपपत्र में गैंगचार्ट के अनुसार निम्न मुकदमे दर्शाये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत है–1– मु०अ०सं० 544/95, अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भा०द०सं० ,थाना कोतवाली, जिला मथुरा आरोपपत्र सं० 78 दिनांक 15.02.1996, 2– मु०अ०सं० 737/95, अन्तर्गत धारा 323,427,504,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, आरोपपत्र सं० 79 दिनांक 15.02.1996, 3– मु०अ०सं० 130/97, अन्तर्गत धारा 147,148,149,302,404 भा०द०सं० व धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, आरोपपत्र संख्या 99 दिनांक 01.05.1997, 4– एन०सी०आर० सं० 50/96 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा। 5– एन०सी०आर० सं० 56/97 अन्तर्गत धारा 427 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा। 6– एन०सी०आर० सं० 26/97 अन्तर्गत धारा 352,504 भा०द०सं०, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा। उपरोक्त मुकदमो में विभिन्न न्यायालय द्वारा मुकदमें निर्णीत कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नवत है–

1– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम मथुरा, सत्रवाद संख्या 347/97, राज्य बनाम राकेश चौधरी आदि, अ०सं० 554/95, अन्तर्गत धारा 307/34, 323/34, 504,506 भा०द०सं० थाना कोतवाली जिला मथुरा, निर्णय दिनांक 22.05.1999

2– न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 4, मथुरा, मुकदमा नम्बर 2216/2003, राज्य बनाम राकेश चौधरी आदि, अ०सं० 737/95, अन्तर्गत धारा 323,427,504,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, निर्णय दिनांक 04.03.2005

3– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम, मथुरा, सत्रवाद संख्या 347/97, राज्य बनाम अंकित चौधरी आदि, अ०सं० 130/97, धारा 147,148,149,404,302 भा०द०सं० व 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, निर्णय दिनांक 29.09.2007 तथा आरोपपत्र/गैंगचार्ट में दर्शित एन०सी०आर० के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय से जन सूचना प्राप्त की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है–

एन०सी०आर० संख्या 50/96, अन्तर्गत धारा 323,504 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, एन०सी०आर० सं० 56/97, अन्तर्गत धारा 427 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, एन०सी०आर० सं० 26/97, अन्तर्गत धारा 352,504 भा०द०सं० थाना वृन्दावन,थाना वृन्दावन, जिला मथुरा, के पंजीकृत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, उक्त को पंजीकृत किये हुये तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है, एन०सी०आर० अभिलेख तीन वर्ष तक ही थाना हाजा पर सुरक्षित रखे जाते है, तत्पश्चात रिकॉर्ड में दाखिल कर नष्ट करने की कार्यवाही उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार नियमानुसार की जाती है। अतः सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है, उपरोक्त के अलावा अन्य कोई मुकदमा अभियुक्त के खिलाफ किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नही है। उपरोक्त वाद/ मुकदमो में प्रेषित गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमो में अभियुक्त को भिन्न भिन्न न्यायालयो द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है, जिनके आदेशो एवं गैंगचार्ट की छायाप्रति संलग्न प्रार्थनापत्र है, जिस कारण अभियुक्त को उक्त अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधार पर अभियुक्त हस्तगत मामले में उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना, अभियुक्त की ओर से, अपने प्रार्थनापत्र 21 ख में की गयी है।

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.04.01 12:20:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि दौरान मुकदमा अभियुक्त राकेश चौधरी की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2026 के माध्यम से उपशमित की जा चुकी है ।

4– अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध बने गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आधार वाद दर्शित है–

1– अभियुक्त मोहित चौधरी

1– मु०अ०सं० 544/95, अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भा०द०सं० ,थाना कोतवाली, जिला मथुरा आरोपपत्र सं० 78 दिनांक 15.02.1996,

2– मु०अ०सं० 737/95, अन्तर्गत धारा 323,427,504,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, आरोपपत्र सं० 79 दिनांक 15.02.1996

3– मु०अ०सं० 130/97, अन्तर्गत धारा 147,148,149,302,404 भा०द०सं० व धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, आरोपपत्र संख्या 99 दिनांक 01.05.1997

4– एन०सी०आर० सं० 50/96 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा।

5– एन०सी०आर० सं० 56/97 अन्तर्गत धारा 427 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा।

6– एन०सी०आर० सं० 26/97 अन्तर्गत धारा 352,504 भा०द०सं०, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा।

5– अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध बने गैंगचार्ट में दर्शित प्रथम आधार वाद मु०अ०सं० 544/95, अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भा०द०सं० ,थाना कोतवाली, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्त मोहित चौधरी, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, मथुरा, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.1999 से दोषमुक्त हो चुका है, उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर विद्यमान है। अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध द्वितीय आधार वाद मु०अ०सं० 737/95, अन्तर्गत धारा 323,427,504,506 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्त मोहित चौधरी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 4, मथुरा, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.03.2005 से दोषमुक्त हो चुका है, उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर विद्यमान है। अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध तृतीय आधार वाद मु०अ०सं० 130/97, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302,404 भा०द०सं० व धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला मथुरा है, जिसमें अभियुक्त मोहित चौधरी, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मथुरा, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2007 से दोषमुक्त हो चुका है, उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर विद्यमान है।

6– जहाॅ तक अभियुक्त के विरूद्ध एन०सी०आर० सं० 50/96 अन्तर्गत धारा 323,504 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, एन०सी०आर० सं० 56/97 अन्तर्गत धारा 427 भा०द०सं०, थाना कोतवाली, जिला मथुरा, एन०सी०आर० सं० 26/97 अन्तर्गत धारा 352,504 भा०द०सं०, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा, का प्रश्न है, तो उक्त मामले असंज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है व उक्त मामलो में न्यायालय के आदेश से विवेचना होकर कोई अग्रिम कार्यवाही अभियुक्त के विरूद्ध हुई हो, ऐसा कोई अभियोजन प्रपत्र पत्रावली पर विद्यमान नही है।

अतः हस्तगत मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये यहाॅ माननीय उच्चतम न्यायलय की निम्न विधि व्यवस्था ध्यान देने योग्य है–

1– Farhana v. State of U.P. & ors., 2024 (1) JIC 707 (SC) Supreme Court., जिसमें यह अवधारित किया गया है कि–

" Once an accused has been exonerated in the base case, continuation of prosecution in Gangster Act is unjustified."

7– चूँकि अभियुक्त मोहित चौधरी को हस्तगत मामले में उनके विरूद्ध बने गैंगचार्ट में दर्शित आधार वादो में दोषमुक्त किये जा चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विश्लेषण एवं विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त न होने के कारण, अभियुक्त मोहित चौधरी, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी

क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध से उन्मोचित किये जाने योग्य है एवं अभियुक्त मोहित चौधरी का प्रार्थनापत्र 21 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मोहित चौधरी का प्रार्थनापत्र 21 ख स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त मोहित चौधरी के विरूद्ध धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नही है, पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा
ID UP 6428